

डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई

(आ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री राजेन्द्र कुमार पिता देवकिशन पालीवाल निवासी लोपड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।
2. श्री सुभाषचन्द्र पिता देवकिशन पालीवाल ब्राह्मण निवासी लोपड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।
3. श्री मोहनशंकर पिता देवकिशन पालीवाल निवासी लोपड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।
4. श्री नरोत्तम पिता देवकिशन पालीवाल निवासी लोपड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री गिरीश पिता मनोहरनारायण पालीवाल निवासी लोपड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।
2. श्री घनश्याम पिता मनोहरनारायण पालीवाल निवासी लोपड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।
3. श्री गोरीशंकर पिता मनोहरनारायण पालीवाल निवासी लोपड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।
4. श्रीमती गुलाब पुत्री मनोहरनारायण पालीवाल पत्नी मुकेश पालीवाल निवासी होड़ा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
5. श्रीमती हंसुबाई पत्नी मनोहरनारायण पालीवाल निवासी लोपड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।
6. श्रीमती उमाबाई पुत्री गोपीलाल पालीवाल पत्नी गोवर्धनलाल पालीवाल निवासी 71 सी प्रतापनगर चित्तौड़गढ़।
7. श्रीमती मोवनबाई पुत्री गोपीलाल पालीवाल पत्नी उदयशंकर पालीवाल निवासी गांव डिप्टी पोस्ट सुन्दरचा, जिला राजसमंद।
8. श्रीमती लाड़बाई पुत्री देवकिशन पालीवाल पत्नी दिनेशचन्द्र पालीवाल निवासी आवलहेड़ा पोस्ट नगरी जिला चित्तौड़गढ़।
9. श्रीमती भंवरबाई पुत्री देवकिशन पालीवाल पत्नी मांगीलाल पालीवाल निवासी टूंकड़ाखुर्द पोस्ट सुन्दरचा जिला राजसमंद।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर, (राज.)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा न0 : 46 / 22 (वाद) GCMS No. – 2022 / 97

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 19.03.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

